प्रेषकः

ओम प्रकाश त्रिपाठी,
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

सेवा में:

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक 1708/XV फतेहपुरःदिनांक जुलाई 20 ,2020

विषयः जनपद न्यायालय, फतेहपुर के खोले जाने सम्बन्धी सूचना का प्रेषण।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, फतेहपुर में नियुक्त लिपिक श्री सिद्धार्थ पाण्डेय के नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित पाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फतेहपुर ने अपने पत्र संख्या 669/एसटी–डीएम दिनांक 12.07.2020 द्वारा सूचना प्रेषित की थी एवं प्रेस नोट द्वारा राजकीय आवास संख्या बी–11 सी ब्लाक, फतेहपुर को कण्टेनमेण्ट एरिया घोषित कर दिया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2020 द्वारा जनपद न्यायालय, फतेहपुर (बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) खागा, फतेहपुर एवं ग्राम न्यायालय, बिन्दकी, फतेहपुर को छोडकर) अग्रिम आदेश तक बन्द रखे जाने का आदेश पारित किया गया था तथा जिसकी सूचना पत्र संख्या 1697/पन्द्रह दिनांकित 13.07.2020 द्वारा महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं पत्र संख्या 1698/पन्द्रह दिनांकित 13.07.2020 द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदया, सेशन डिवीजन, फतेहपुर को प्रेषित की गई थी।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर द्वारा जिलाधिकारी, फतेहपुर को प्रेषित आख्या में प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग–5 के पत्र संख्या 902/पांच–5–2020 दिनांकित 31.05.2020 को संदर्भित करते हुए कहा गया है कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 31.05.2020 द्वारा प्रदेश में कार्यालय/संस्थानों/औद्योगिक एवं व्यावसायिक में कोविड–19 से बचाव हेतु प्रबन्धन एवं दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसमें कार्यालय या कार्य स्थल में किसी कार्मिक के कोविड–19 धनात्मक पाये जाने पर कार्यालय को विसंक्रमित कर 24 घण्टे के लिये बन्द किये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं, तत्पश्चात यथावत खोले जा सकेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad Dated 16.07. 2020 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व में

20/7/20

निर्गत पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad Dated 03.06.2020 को संशोधित करते हुए निर्देशित किया गया है कि:–

"All the Courts (Including tribunals) subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad shall open to take up the judicial work and Administrative matters, excluding recording of evidence in trial of cases, as per the existing provisions, rules, guidelines and circulars issued from time to time. However, if the the District Judge concerned considers it appropriate, permission for recording of evidence in trial of cases in courts may be granted, on case to case basis."

कार्मिक अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 11/2020/ संख्या–568/सामान्य–का–4–2020–303/2020टीसी दिनांकित 09.07.2020 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि:–

"अगर किसी कार्यालय में कोरोना संक्रमण के मामले पाये जाते हैं तो उस कार्यालय का विसंक्रमण (Disinfection) जल्द ही (24 घण्टे में) कराया जाये जिससे कार्यालय लम्बे समय तक बन्द न रहे तथा जनसामान्य को कोई असुविधा न हो।"

केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, फतेहपुर ने अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि जनपद न्यायालय परिसर, फतेहपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं शासन के निर्देशानुसार दिनांक 13.07.2020 के पश्चात जिला प्रशासन, फतेहपुर द्वारा नियमित रूप से विसंक्रमित (Disinfect) करवाया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश, शासन की विज्ञप्ति एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के निर्देशों का सम्यक परिशीलन करने के पश्चात वादकारियों के व्यापक हितो को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा जनपद न्यायालय, फतेहपुर को दिनांक 20.07.2020 से खोले जाने का आदेश पारित कर दिया गया है।

आदर सहित।

दिनांक: जुलाई 20 ,2020

भवदीय

20.7.20.

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

पत्रांक / फतेहपुर:दिनांक जुलाई ,2020

प्रतिलिपि वैक्तिक सहायक, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदया, फतेहपुर सेशन डिवीजन, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदया के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु।

जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।